

3

7

(581)
5

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:- अधी.अभि./पीएमजीएसवाई/07/डी-225/ दिनांक 10/9/07

माननीय सांसद

माननीय विधायक

जिला प्रमुख

प्रधान,
पंचायत समिति

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के रख रखाव बाबत ।

उपसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक एसई/पीएमजीएसवाई/डी 387
दिनांक 22.8.06, डी 827 दिनांक 14.2.07 एवं डी 898 दिनांक
14.2.2007.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त प्रासांगिक पत्रों के संदर्भ में पुनः निवेदन है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनका रख रखाव अनुबन्ध के अनुसार 5 वर्ष तक संवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी पर है। रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के बारे में माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला प्रमुख महोदय एवं प्रधान पंचायत समितियों को भी अवगत किया जावे।

अतः आप अपने अधीनस्थ क्षेत्र में निर्मित सड़कों का रख रखाव संवेदक द्वारा सही प्रकार से किया जा रहा है के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जानकारी दें, जिससे तत्परता से विभाग समय पर उचित मददवाही कर सकें।

मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई)
सार्वजनिक निर्माण विभाग, 10/9/07

3

3